



ऑन लाईन नं. RCMS2020/00027

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : डा. गुंजन सोनी, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं० 08 / 2020

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. जवाहरलाल पुत्र श्री मदनलाल पोपली -नमूना विक्रेता एवं मालिक-
फर्म-मै० प्रेम डेयरी, दुकान नम्बर -02, अरोडवंश मार्केट, श्रीगंगानगर
निवासी :- 24 बी, चहल चौक, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर
2. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री कृष्णलाल कलवानिया - होलसेलर-
फर्म-मै० सुशील ट्रेडिंग कम्पनी, 88, पुरानी धानमण्डी, श्रीगंगानगर
निवासी :- 10 आदर्श नगर, लाल सागर, जोधपुर-342026
3. देवेश कुमार रावल -निदेशक निर्माता फर्म-
फर्म-Mahak Foods Limited, Village-Thatha, Amrtsar-Chabhal Road, Distt. Taran
Taran(Punjab)-143301
4. किरण रावल -निदेशक निर्माता फर्म-
फर्म-Mahak Foods Limited, Village-Thatha, Amrtsar-Chabhal Road, Distt. Taran
Taran(Punjab)-143301
5. विशाल बत्रा -निदेशक निर्माता फर्म-
फर्म-Mahak Foods Limited, Village-Thatha, Amrtsar-Chabhal Road, Distt. Taran
Taran(Punjab)-143301

अपराध अ० धारा 26 उपधारा (2)(2) / 52 एवं क्रम संख्या 1. नमूना विक्रेता पर धारा
31(2) / 58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011


निर्णय

दिनांक : 20.07.2020

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 17.05.2017 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे हैं। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 17.05.2017 से वर्तमान कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त जिला श्रीगंगानगर कार्यक्षेत्र अग्रिम आदेशों तक आवंटित किया है।

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.08.2019 को दोपहर 02.00 बजे श्री संदीप जाखड़, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी





अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

श्रीगंगानगर के वास्ते निरीक्षण फर्म मै0 प्रेम डेयरी, दुकान नम्बर-02, अरोड़वंश मार्केट, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर पहुंचे। वहां पर जवाहरलाल पुत्र श्री मदनलाल पोपली उम्र-56 वर्ष उपस्थित मिला, जिसने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक बताया। उपस्थित को निरीक्षण दल ने अपना परिचय देकर डेयरी का निरीक्षण किया तो उपरोक्त डेयरी में 15 किलोग्राम **Desi Ghee (Dairy Diamond)** युक्त 30 टिन के सील्ड पीपे आमजन को विक्रय हेतु रखा पाया गया। मिलावट/नकली का शक होने पर नमूना जाँच **K-976** के नमूनीकरण की सूचनार्थ विक्रेता को फार्म नम्बर 5ए की एक प्रति प्रदान कर विक्रेता को बताया कि **Desi Ghee (Dairy Diamond)** का यह नमूना वास्ते जांच लिया जा रहा है। फार्म नम्बर 5ए पर नमूना विक्रेता श्री जवाहरलाल एवं गवाहान ने पढ़कर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किए एवं तस्दीक कर स्वयं मैने हस्ताक्षर किए। मौके पर रखे **Desi Ghee (Dairy Diamond)** का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 के तहत नियमानुसार एवं विधिपूर्वक नमूनीकरण करने के लिए **Desi Ghee (Dairy Diamond)** युक्त एक सील्ड पीपे के उपरी ढक्कन में छेद करके 800 ग्राम **Desi Ghee (Dairy Diamond)** नमूना संख्या **K-976** के नमूनीकरण के लिए खरीदा जिसकी कीमत 360/-रूपये (अखरे तीन सौ साठ रूपये) का नगद भुगतान देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा गवाहान श्री संदीप जाखड एवं शिवरतन के हस्ताक्षर हैं एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हरिराम वर्मा ने भी हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा **Desi Ghee (Dairy Diamond)** को चार साफ एवं सुखी प्लास्टिक की बोतलों में बराबर मात्रा में भरकर ढक्कन बन्द किया एवं टेप चिपकाकर चार नमूना भाग बनाये। चारो प्लास्टिक बोतलो पर अलग-अलग खाद्य नमूना कोड का अनुक्रमांक **K-976** एवं अन्य विवरण युक्त लेबल चिपकाया और इन पर नमूना के विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवा कर मैने भी हस्ताक्षर किए। साथ ही पीपे के लेबल की फोटो कापियों सहित प्रत्येक नमूना भाग को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर कागज के सिरों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अधिकारी श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप के-976 को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार 4-4 जगह मोड़कर सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये। नमूना के चौथे सीलबंद भाग के बारे में नमूना विक्रेता को यह बताकर कि वह चाहे तो इस भाग की जांच किसी अधिसूचित NABL प्रयोगशाला से जांच करवा सकता है। इसके पश्चात चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। शेष बचे **Desi Ghee (Dairy Diamond)** के सभी पीपों को विक्रय प्रतिबंधित कर विक्रेता की सुरक्षित अभिरक्षा में रखवाकर दिया गया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य विक्रेता ने पढ़कर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर




अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर


किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

फूड एनालिस्ट राजस्थान जयपुर द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक:-एलएस/1818/एक्ट/2019/1350 दिनांक 20.08.2019 स्तर (Misbranded) होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त जवाहरलाल पुत्र श्री मदनलाल पोपली निवासी 24 बी, चहल चौक, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **Desi Ghee (Dairy Diamond)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(2)/52 एच.क.स.1 नमूना विक्रता पर धारा 31(2)/58 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 03.03.2020 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्तों को तलब किया गया। अभियुक्तों को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो मिस ब्रांडिंग का आरोप प्रस्तुत किया है उक्त आरोप अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं है। उक्त नमूने की जांच प्रयोगशाला भेजे गये, जहां पर प्रयोगशाला में उक्त नमूने का सैम्पल सही पाया गया, किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं पायी गई, परन्तु उनके द्वारा रिपोर्ट में मिस ब्रांडिंग का कथन किया है। उक्त अभिकथन विधि द्वारा पोषणीय नहीं है ना ही मिस ब्रांडिंग की परिभाषा में आता है क्योंकि रिपोर्ट दिनांक 20.08.2019 को जो मिस ब्रांडिंग की रिपोर्ट होना बताकर उक्त परिवाद श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत किया है, उसमें यह अंकित किया है कि जो डिब्बा के उपर कार्टून था उस पर उक्त उत्पाद को उपयोग करने की दिनांक **twelve month from the date of packing** अंकित किया है। उक्त शब्द छोटे लिखे गये है जबकि बड़े लिखे जाने चाहिए थे तथा न्यूट्रेशन वैल्यू अंकित नहीं होना अंकित किया है यहां यह अंकित करना आवश्यक है कि उक्त देशी घी के बाहर जो कार्टून की पैकिंग है उक्त पैकिंग केवल मात्र देशी घी के डिब्बों को ट्रांसपोटेशन में सुरक्षित रखने हेतु की जाती है और देशी घी के पीपे पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत समस्त इन्द्राजात सही है जो कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा भी सही पाये गये है जहां तक कार्टून के लेबल की बात है कार्टून के लेबल के माध्यम से विक्रय नहीं किया जाता, इसलिए उक्त मिस ब्रांडिंग का उक्त निष्कर्ष पोषणीय नहीं है। न्यूट्रेशन वैल्यू घी के कार्टून पर नहीं होना अंकित किया गया है और खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कोई तथ्य ज्ञान होने के बावजूद भी केवल मात्र उन्ही कार्टून की फोटो भेजी है जिसमें न्यूट्रेशन वैल्यू अंकित नहीं थी जबकि घी के टीन जिसे कार्टून से बाहर निकालकर ही विक्रय किया जाता है और जो विक्रय के लिए बिना कार्टून से प्रदर्शित थे उनके सम्बन्ध में लैश मात्र भी अंकित नहीं किया और अन्य कार्टून जिन पर न्यूट्रेशन वैल्यू अंकित थी उनकी फोटो नहीं लिये गये जबकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा 71 कार्टून घी के दर्शाये है जबकि फोटो मात्र 1 कार्टून की फोटो लगाई है वो भी घी के टीन




अति.जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

की फोटो नहीं लगाई गई है। जिस कॉर्टून को मिस ब्रांडिंग बताकर उक्त रिपोर्ट दी गई है, उक्त रिपोर्ट भी सही नहीं है इसका कारण यह है कि कम्पनी द्वारा कार्टून पर भी सही रूप से इन्द्राज किये गये हैं, कोई छोटे अक्षरों में इन्द्राज नहीं किया बल्कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो रिपोर्ट के लिए दस्तावेज सैम्पल के लिए भेजा था उसमें लेबल की फोटो कॉपी भेजी थी, फोटो कॉपी का अवलोकन करने से किसी प्रकार से शब्दों का छोटा होना या बड़ा होना सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। खाद्य सुरक्षा अधिनियम में यह अनिवार्य है कि जिस वस्तु की जांच प्रयोगशाला से करवाई जा रही है उक्त वस्तु प्रयोगशाला में भेजी जानी अनिवार्य है। हस्तगत मामलों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फोटो प्रति भेजी इसलिए उसके द्वारा जो प्रक्रिया अपनायी गई है वह विधि मान्य नहीं है ना ही उक्त फोटो कॉपी पर आयी रिपोर्ट विधि मान्य है ऐसी अवस्था में अनावेदक गण के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई अपराध प्रमाणित नहीं है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उक्त परिवाद व दस्तावेजों का अवलोकन करने से किसी प्रकार का कोई अपराध प्रमाणित नहीं होता है ऐसी अवस्था में उक्त परिवाद का दाखिल दफतार फरमाया जावें और अनावेदक का जबाबशुदा घी उन्हें लौटाये जाने का आदेश पारित किया जावें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Desi Ghee (Dairy Diamond)** का सैम्पल के-976 जांच रिपोर्ट क्रमांक:-एलएस/1818/एक्ट/2019 /1350 दिनांक 20.08.2019 द्वारा (Misbranded) होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उप धारा 26(2)(2)/52 एव क.स.1 नमूना विक्रता पर धारा 31(2)/58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध साबित होता है। जिसमें अधिकतम 5,00,000 रूपये की शारित का प्रावधान है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो मिस ब्रांडिंग का आरोप प्रस्तुत किया है उक्त आरोप अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं है। उक्त नमूनें की जांच प्रयोगशाला भेजे गये, जहां पर प्रयोगशाला में उक्त नमूनें का सैम्पल सही पाया गया, किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं पायी गई, परन्तु उनके द्वारा रिपोर्ट में मिस ब्रांडिंग का कथन किया है। उक्त अभिकथन विधि द्वारा पोषणीय नहीं है ना ही मिस ब्रांडिंग की परिभाषा में आता है क्योंकि रिपोर्ट दिनांक 28.08.2019 को जो मिस ब्रांडिंग की रिपोर्ट होना बताकर उक्त परिवाद श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत किया है, उसमें यह अंकित किया है कि जो डिब्बा के उपर कार्टून था उस पर उक्त उत्पाद को उपयोग करने की दिनांक **tewelve month from the date of packing** अंकित किया है। उक्त शब्द छोटे लिखे गये हैं जबकि बड़े लिखे जाने चाहिए थे तथा न्यूट्रेशन वैल्यू अंकित नहीं होना अंकित किया है। देशी घी के पीपे पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत समस्त इन्द्राजात सही है जो कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा भी सही पाये गये हैं जहां तक कार्टून के लेबल की बात है



अति.जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

कार्टून के लेबल के माध्यम से विक्रय नहीं किया जाता, इसलिए उक्त मिस ब्रांडिंग का उक्त निष्कर्ष पोषणीय नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उक्त परिवाद व दस्तावेजों का अवलोकन करने से किसी प्रकार का कोई अपराध प्रमाणित नहीं होता है। अतः ऐसी अवस्था में उक्त परिवाद का दाखिल दफतार फरमाया जावे एवं जब्तशुदा घी उन्हें लौटाये जाने का आदेश पारित किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हमने पत्रावली एवं Food Analyst की दिनांक 20.08.2019 की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया। अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है तथा नमूना विक्रेता नमूनीकरण एवं निरीक्षण के समय उचित खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र भी प्रस्तुत नहीं कर सका जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31(2) की उल्लंघन है और जुर्माने योग्य अपराध है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 58 में वर्णित है। अभियुक्त जवाहरलाल पुत्र श्री मदनलाल नमूना विक्रेता एवं मालिक, राजेन्द्रप्रसाद पुत्र श्री कृष्णलाल होलसेलर एवं म देवेश कुमार रावल वगैरा निदेशक निर्माता फर्म—पर Contravention of Regulation No.2.2.2.(3) and 2.2.2.(10) of FSS (Packaging and Labelling) Regulation के तहत **Desi Ghee (Dairy Diamond)** का विक्रय करने पर धारा 26(2)(2)/52 एव क.स.1 नमूना विक्रेता पर धारा 31(2)/58 के तहत 4000X5= 20000/-रूपये (अखरे रूपये बीस हजार मात्र) शास्ति अधिरोपित की जाती है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त **Desi Ghee (Dairy Diamond)** का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जब्तशुदा **Desi Ghee (Dairy Diamond)** की सुपुर्दगी एवं अप्रार्थीगण के परिसर की सुपुर्दगी देते हुए विधिक नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण पालना से तीन दिवस में अवगत करावे।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में **Desi Ghee (Dairy Diamond)** के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.07.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(**डॉ. गुजन सोनी**)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासक)
श्रीगंगानगर